

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—:: आदेश ::—

संख्या—17 / सं0नि0—03—32 / 2025, 18.12.2025 / सा.प्र., पटना—15, दिनांक:—02.01.2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक—10000 दिनांक—10.07.2015 में निहित प्रावधान एवं शर्तों के तहत तथा मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की दिनांक—24.12.2025 को आहूत बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में तालिका में अंकित बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव को संविदा के आधार पर अवर सचिव के पद पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—5 में अंकित विभाग/कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है:—

क्र0	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम पदस्थापन विभाग/कार्यालय	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	विभाग/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री अरूण कुमार, अवर सचिव	महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना	04.01.1966 31.01.2026	महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना

2. उपर्युक्त संविदा नियोजन निम्नांकित शर्तों के अधीन है:—

(क) यह नियोजन योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा तथा श्री कुमार को अवर सचिव (संविदा) के पद पर योगदान की तिथि से मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त अवर सचिव सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह के अन्दर संबंधित विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। समय सीमा अन्तर्गत योगदान नहीं करने की स्थिति में उनका संविदा नियोजन स्वतः रद्द हो जायेगा।

(ग) प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया ऐसा नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।

(घ) संकल्प की कंडिका—3(2)(क)(vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय—समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।

(च) संकल्प की कंडिका—3(5) के तहत योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(छ) संकल्प की कंडिका—3(6)(i) के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका—3(6)(ii) के तहत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। कंडिका—3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्ति और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

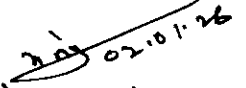
(ज) संकल्प की कंडिका—(4) के तहत पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

2

(झ) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को वित्तीय शक्ति दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०-20947 दिनांक-25.11.2022 का अनुपालन विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(ट) संकल्प की कंडिका-(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

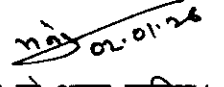
(ठ) संविदा नियोजन के पश्चात् किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।


(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/सं०नि०-03-32/2025,18ने...../सा.प्र., पटना-15, दिनांक:- 02.01.2026

प्रतिलिपि:-महाधिवक्ता, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्री अरुण कुमार, अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना/आईटी मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-16 एवं 22, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।